# कार्यालय–मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक : 3036 /वाद सं0 आर–1209/एस–5/2025 दिनांक: 15/10/ 2025

श्री कन्हैया लाल,
पुष्प विहार लेन न0–07,
निकट गुजरोंवाला चौक,देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 35 गुणा 50 फीट क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर ग्रुप हॉउसिंग का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.09.25 को उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम–2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 आर–1209/एस–5/2025 योजित किया गया था। जिसे स्थल पर दिनांक 23.09.25 को चस्पा किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आपके द्वारा उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.09.2025 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, इसी कम में कार्यालय पत्रांक 2921 दिनांक 03.10.25 के द्वारा सील हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 09.10.25 की तिथि नियत की गयी नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ता आख्या दिनांक 29.09.25 के कम में विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य लगातार जारी रखे हुए है एवं समस्त कॉलोनी वासीयो द्वारा लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं तथा विपक्षी द्वारा प्राधिकरण में आतिथि तक कोई भी शमन हेतु मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया है व निर्माणाधीन ग्रुप हॉउसिंग को सील बन्द किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है व प्राधिकरण को गुमराह किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नही है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण मे सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

## –आदेश–

अतः विपक्षी श्री कन्हैया लाल, पुष्प विहार लेन न0–07, निकट गुजरोंवाला चौक देहरादून द्वारा स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 35 गुणा 50 फीट क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर ग्रुप हॉउसिंग का निर्माण कार्य किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को 28(क) के अन्तर्गत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 27-10-25 को सील किया जाना है।

**विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।**

अधिशासी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।